राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

क्रमांक:- प•6(15)राज-6/95/4 जयपुर, दिनांक:- 3-4-99

-: प रि प त्र :-

विषय:- सुअर पालन हेतु भूमि का आवंटन ।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (डेयरी व पोल्ट्री कार्य हेतु भूमि का आवंटन) नियम 1958 के अन्तर्गत सुअर पालन हेतु (शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का आवंटन किया जाता है । परन्तु यह आम तौर पर देखा गया है कि सुअर पालन के प्रयोजनार्थ आवंटित कृषि भूमि कुछ समय के बाद खराब होने लगती है और उस पर खेती करना संभव नहीं होता । अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन से राज्य सरकार की मंशा केवल बंजर भूमि ही आवंटित करने से है न कि कृषि योग्य भूमि ।

अत: भविष्य में सुअर पालन हेतु भूमि का आवंटन करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि इस हेतु मात्र बंजर भूमि ही दी जाये तथा शहरी क्षेत्र में ऐसी भूमि आवंटित करते समय सतर्कता बरती जाये जिससे कोई व्यवधान उत्पन्न न हो ।

(संजय दीक्षित)
शासन उप सचिव

मनोज/